न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2021/17
मिसलनम्बर–74 / 2019

1.मथुरालाल आत्मज माधो जी आयु 65 वर्ष जाति बलाई निवासी ग्राम रोटेदा रोड कोटा जंक्शन कोटा

–प्रार्थी

बनाम

1.मोहनलाल आत्मज माधो जी आयु 51 वर्ष जाति बलाई निवासी सरस्वती कॉलोनी ग्राम रोटेदा रोड गली नं0 6 कोटा जंक्शन कोटा
2.शान्ति बाई पुत्री माधो जी पत्नी रामपाल जाति बलाई निवासी ग्राम रोटेदा तहसील लाडपुरा जिला कोटा
2.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाड़पुरा तहसील लाड़पुरा जिला कोटा राज0

–अप्रार्थीगण

–:निर्णय:–

(राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत् प्रार्थनापत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा।)

दिनांक 21/1/25

उपस्थितिः–
1.श्री धनश्याम नागर अधिवक्ता प्रार्थी।
2.श्री रविन्द्र विजय अधिवक्ता अप्रार्थीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत् प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण की ओर से जर्ये अधिवक्ता प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया जिसमें निवेदित सक्षेंपित तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम रोटेदा तहसील लाडपुरा कोटा में खसरा नं0 349 रकबा 1.37 है0 खसरा नं0 623 रकबा 0.94 है0 कुल 2 किता की 2.31 है0 आराजी स्थित है। उक्त आराजी पूर्व में जयसिंह आत्मज चतर सिंह जाति चारण निवासी ग्राम थौनपुर तहसील सांगोद जिला कोटा के नाम दर्ज थी जिस पर प्रार्थी का क़ब्जा काश्त होने से जयसिंह के पुत्र उदयसिंह द्वारा प्रार्थी व अप्रार्थी के विरूद्ध न्यायालय सहायक कलेक्टर कोटा में वाद प्रस्तुत किया, उक्त वाद दिनांक 29.09.87 को खारिज हो जाने के बाद न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में प्रार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत की उक्त अपील दिनांक 01.12.92 को स्वीकार कर उक्त आराजी का प्रार्थी को खातेदार घोषित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील प्रस्तुत की गई उक्त अपील दिनांक 22.04.99 को स्वीकार कर पुनः निर्णय करने हेतु रिमाण्ड की गई तत्पश्चात न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 30.04.04 को प्रार्थी को खातेदार घोषित किया गया। प्रार्थी ही उपरोक्त वर्णित आराजी पर हमेशा से काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है किन्तु सहवन से वर्णित

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

बन्दी में प्रार्थी के साथ साथ अप्रार्थी व शान्ति बाई पुत्री माधोलाल का नाम भी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है अप्रार्थी व शान्ति बाई का वर्णित आराजी पर कभी भी कब्जा काश्त नही रहा है। अप्रार्थी व शान्ति बाई का नाम सहवन से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने का अनुचित फायदा उठाकर शान्ति बाई के साथ षड्यंत्र रचकर अप्रार्थी ने दिनांक 24.10.19 को अपने पक्ष में हक त्याग पत्र का पंजीयन करवा लिया जो प्रार्थी के हक व अधिकारों के विपरीत होने से अवैध एवं प्रभाव शून्य है जिससे अप्रार्थी को कोई अधिकार प्राप्त नही होता है। राजस्थान टीनेन्सी एक्ट में हक त्याग किये जाने का कोई प्रावधान नही है। हक त्याग से किसी प्रकार का कोई अधिकार प्रदान नही किये जा सकते बिना कब्जे व अधिकार के हक त्याग पत्र का पंजीयन करने से प्रभाव शून्य है। उक्त हक त्याग पत्र के आधार पर अप्रार्थी स्वयं का नाम शान्ति बाई के स्थान पर दर्ज करवाने पर आमादा है इस कारण राजस्व रिकॉर्ड की यथा स्थिति बनाये रखा जाना न्यायहित में आवश्यक है। प्रार्थी राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 15 व 19 के अनुसार खातेदार घोषित होने की पात्रता रखता है तथा अप्रार्थी व शान्ति बाई का नाम राजस्व रिकॉर्ड में से हटाया जाना आवश्यक है, क्योकि अप्रार्थी व शान्ति बाई द्वारा कभी भी न तो काश्त की गई है और न ही कोई अधिकार ही वर्णित आराजी में है। इस बाबत प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी से नाम हटाये जाने हेतु कहा जिस पर अप्रार्थी के इंकार कर देने पर प्रार्थी के लिये यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया। बेलेन्स ऑफ कनवीनियन्स एवं प्राईमाफेसाई केस प्रार्थी के पक्ष में है यदि अप्रार्थीगण के द्वार प्रार्थी को उक्त आराजी से नाम के आधार बेदखल कर खुर्द बुर्द कर दिया गया तो प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार के भूखो मरने की स्थिति उत्पन्न हो जावेगी तथा प्रार्थी को अनेकोने वाद विवादों में उलझ कर खर्चे से जेरबार होना पडेगा जिसकी पूर्ति प्रार्थी भविष्य में कभी भी नही कर सकेगा। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्ध ता फैसला अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमायी जावे कि प्रार्थना पत्र में वर्णित ग्राम रोटेदा तहसील लाडपुरा कोटा में स्थित आराजी मे से प्रार्थी को बेदखल नही करे तथा खुर्द बुर्द नही करे राजस्व रिकॉर्ड एंव मोके की यथा स्थिति बनाये रखे ऐसा कृत्य न तो स्वयं करे और न ही अपने किन्ही प्रतिनिधियों से ही करावे।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस प्रेषित कर तलब किया गया।

अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा जो तथ्य प्रार्थना पत्र में अंकित किये है उसके सम्बंध में कोई दस्तावेज व प्रमाण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नही किये गये है, विवादित भूमि जय सिंह पुत्र चतर सिंह के नाम हो उसका कोई प्रमाण नही है, व पत्रावली में उपस्थित नही है, जिस आदेश दिनांक 29.07.87 का हवाला दिया गया है, वह पत्रावली में उपस्थित नही है, इसी प्रकार अपील का निर्णय दिनांक 01.12.1992 भी पत्रावली में नही है, ना ही इनकी नकले अप्रार्थी को दी गई है, निर्णय दिनांक 22.04.1999 एवं 30.04.2004 का भी वर्णन किया गया है और जिसके आधार पर प्रार्थी अपने आप को खातेदार घोषित करवाना चाहता है, इन निर्णयों की प्रतियां न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत नही है, और ना ही अप्रार्थीगण को उपलब्ध करवाई गई है, इसलिये इन निर्णयों के सम्बंध में विस्तृत जवाब दिया जाना सम्भव नही है, यदि प्रार्थी इन निर्णयों की प्रतियां अप्रार्थीगण को उपलब्ध करवायेगा तो उनका जवाब देने का अधिकार अप्रार्थीगण रिजर्व रखते है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी नं0 1 व 2 विवादित भूमि पर सहखातेदार है, जिनका बराबर का हिस्सा है व तीनो का नाम जमाबंदी में अंकित है तथा तीनो भूमि पर काश्त करते चले आ रहे है। शांति बाई द्वारा पूर्ण

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

हवास में दिनांक 24.10.19 को रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र अप्रार्थी नं0 1 के पक्ष में कराया है, इसलिये इसके उपरांत प्रार्थी का जो शांति बाई का हिस्सा है जो विवादित भूमि में है, उससे कोई लेना देना नही है। ना तो प्रार्थी के पक्ष में बेंलेस ऑफ कनवीनियन्स और ना ही प्राईमाफेसाई केस है, और ना ही उसे कोई अपूर्णनीय क्षति होने की संभावना है, क्योकि विवादित भूमि में प्रार्थी व अप्रार्थी नं0 1 व 2 सहखातेदार है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी के अनुसार प्रार्थी एवं अप्राथीगण का नाम जमाबंदी में दर्ज है और तीना द्वारा अपने अपने भाग पर काश्त की जा रही है, परन्तु प्रार्थी ने माननीय न्यायालय से तथ्यो को छिपाकर एकपक्षीय स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है, जो निरस्त होने योग्य है, क्योकि मुताबिक कानून हर सहखातेदार का भूमि को प्रत्येक इंच पर बराबर कब्जा होता है, इसलिये उनके विरूद्ध स्थगन आदेश जारी नही किया जा सकता है।प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में यह भी अंकित नही किया है कि उसे कोई अपूर्णनीय क्षति कैसे होने वाली है, इसलिये भी यह यह प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है तथा खारिज होने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र–जवाब प्रार्थना पत्र की प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त पत्रावली बहस वास्ते नियत की गई। उभयपक्ष की ओर से दौराने बहस अपने अपने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराया।

अस्थायी निषेधाज्ञा के लिये निम्न तीन शर्तो की पालना आवश्यक है।

1.क्या प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला है ?
2.क्या सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है ?
3.प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी ?

क्या प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला है ?

इनको सिद्ध करने का भार प्रार्थी पर होता है। वे शपथपत्र या अन्य साक्ष्य द्वारा यह साबित करे कि उसके हक में प्रथम दृष्टया मामला बनता है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि विवादित आराजी पर प्रार्थी का कब्जा काश्त होने से जयसिंह के पुत्र उदयसिंह द्वारा प्रार्थी व अप्रार्थी के विरूद्ध न्यायालय सहायक कलेक्टर कोटा में वाद प्रस्तुत किया, उक्त वाद दिनांक 29.09.87 को खारिज हो जाने के बाद न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में प्रार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत की, उक्त अपील दिनांक 01.12.92 को स्वीकार कर उक्त आराजी का प्रार्थी को खातेदार घोषित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील प्रस्तुत की गई, उक्त अपील दिनांक 22.04.99 को स्वीकार कर पुनः निर्णय करने हेतु रिमाण्ड की गई तत्पश्चात न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 30.04.04 को प्रार्थी को खातेदार घोषित किया गया। परन्तु जब हम हस्तगत पत्रावली से सम्बंधित वाद पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन करते है तो पाते है कि न्यायालय सहायक कलेक्टर कोटा में प्रार्थीगण मथुरालाल, मोहनलाल एवं छोटी बाई के द्वारा ठाकुर जयसिंह के विरूद्ध वाद पेश किया गया था जो दिनांक 29.09.87 को खारिज किया गया। तत्पश्चात प्रार्थीगण ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में अपील प्रस्तुत की जिसे माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा स्वीकार फरमाते हुये विवादित आराजी का प्रार्थी एवं अप्रार्थी नं0 1 एवं छोटी बाई बेवा माधोलाल को खातेदार घोषित किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील प्रस्तुत की गई उक्त अपील दिनांक 22.04.99 को स्वीकार कर पुनः निर्णय करने हेतु रिमाण्ड की गई तत्पश्चात

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 30.04.04 को वादीगण मथुरालाल, मोहनलाल एवं छोटी बाई को खातेदार घोषित किया गया। प्रार्थी मथुरालाल द्वारा गलत तथ्य अंकित करते हुये यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा द्वारा दिनांक 30.04.04 को वादीगण मथुरालाल, मोहनलाल एवं छोटी बाई को खातेदार घोषित किया गया। जिस कारण से विवादित आराजी के सम्बंध में प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र में किये गये कथनों को सिद्ध करने में असफल रहा है। उभयपक्षकारान के हक हिस्से का निर्धारण तो मूल वाद के निस्तारण के पश्चात ही सम्भव होगा परन्तु इस प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के स्तर पर यह देखना आवश्यक है कि प्रथम दृष्टया मामला किसके पक्ष में बनना पाया जाता है जो सम्भवतया प्रार्थी के पक्ष में बनना नही पाया जाता है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में प्रार्थी प्रथम दृष्टया मामला साबित करने में असफल रहा है।

क्या सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है?

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 30.04.04 को वादीगण मथुरालाल, मोहनलाल एवं छोटी बाई को खातेदार घोषित किया गया। विवादित भूमि में प्रार्थी व अप्रार्थी नं0 1 व 2 सहखातेदार है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी के अनुसार प्रार्थी एवं अप्राथीगण का नाम जमाबंदी में दर्ज है, सहखातेदार के विरूद्ध स्थगन आदेश जारी नही किया जा सकता है। ज्ञातव्य है कि प्रार्थी द्वारा जिस सुविधा का लाभ चाहा गया है उसके लिये उसका स्वयं विवादित आराजी पर काबिज होना आवश्यक है। प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई भी ठोस दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है जिससे सम्पूर्ण विवादाग्रस्त आराजी पर प्रार्थी का कब्जा प्रमाणित हो। इसलिये सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में नहीं है जबकि पत्रावली में संलग्न दस्तावेजी साक्ष्य से यह तथ्य सिद्ध है कि प्रार्थी एव अप्रार्थीगण उक्त आराजी के सहखातेदार है कानून हर सहखातेदार का भूमि को प्रत्येक इंच पर बराबर कब्जा होता है। इसलिये सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में बनना नही पाया जाता है।

क्या प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी ?

प्रस्तुत प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में नही बनना पाया गया है। अतः प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होने की भी सम्भावना नही है। जिस कारण से अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष बनना नही पाया जाता है।

उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यहां इस अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में तो मात्र सुविधा के संतुलन, प्रथम दृष्टया केस एवं अपूर्णीय क्षति के बिन्दु पर ही विचार किया जा रहा है जो कि प्रार्थी के पक्ष में बनना नही पाया जाता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला नहीं होने से तथा सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में नहीं होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

उक्त निर्णय आज दिंनाक:.....21/01/25.....को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा